भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3646

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)को दिया गया

ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति

3646. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों के फसल ऋण संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति में क्षेत्रीय/उच्चतर कार्यालयों से अधिक समय लगता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में शाखा स्तर पर कार्यरत शाखा प्रबंधकों को निर्धारित सीमा के अंदर पात्र किसानों को फसल ऋण स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों को समयबद्ध और सरल तरीके से फसल ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने सूचित किया है कि फसल ऋण की स्वीकृति संबंधी वित्तीय शक्तियाँ, संबंधित बैंकों के बोर्ड अनुमोदित नीति के तहत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आधार पर, पहले से ही शाखाओं/कृषि संसाधन प्रकोष्ठों/फील्ड स्टॉफ/निर्दिष्ट संसाधन प्रकोष्ठों आदि को प्रत्यायोजित की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा शाखा/ कृषि संसाधन प्रकोष्ठ/फील्ड स्टॉफ/निर्दिष्ट संसाधन प्रकोष्ठ स्तर पर प्रत्यायोजित सीमाओं के भीतर फसल ऋण के पात्र प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृत किया जाता है, जिससे विलम्ब कम होता है।

इसके अलावा, सरकार ने किसानों को समयबद्ध और सरलीकृत तरीके से फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 19.06.2026 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना संबंधी निदेश जारी किए हैं, इस योजना का उद्देश्य किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से सिंगल विंडो के तहत पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है।

ii. आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को यह भी सलाह दी है कि वे ऋण प्रस्तावों पर उपयुक्त समय-सीमाओं के भीतर कार्रवाई करें और निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय से लंबित आवेदनों की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करें।

iii. बैंकों द्वारा त्वरित और पारदर्शी ऋण संसाधन के लिए किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), ई-केसीसी, जनसमर्थ पोर्टल आदि जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से कृषि ऋण की सुपुर्दगी भी की गई है।
